"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2013—श्रावण 1, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2013

क्रमांक एफ-131/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/866.—दिनांक 18 जुलाई 2013 को नगरपालिका परिषद् डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग. के 4 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-131/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. भागचंद वैध, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग.

2. रविन्द्र, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग.

3. राकेन्द्र, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग.

4. सचेन्द्र नंदेश्वर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 18 जुलाई 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 3 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् डोंगरगढ़ के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों भागचंद वैध, रविन्द्र, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों भागचंद वैध, रविन्द्र, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर को दिनांक 25 फरवरी 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त सूचना विधिवत् तामील नहीं होने के कारण दिनांक 5 फरवरी 2011 को पुनः कारण बताओ सूचना जारी की गई जो अभ्यर्थियों भागचंद वैध एवं रविन्द्र को दिनांक 23 फरवरी 2011 को तथा राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर को दिनांक 28 फरवरी 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण भागचंद वैध, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थीगण को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी रविन्द्र द्वारा अपना जवाब दिनांक 15 मार्च 2011 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि उन्होंने चुनाव के दौरान कोई वृहद प्रोग्राम या अधिक खर्चीला चुनावी खर्च नहीं किया है. उक्त चुनाव में होने वाला समस्त खर्च कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोगात्मक रूप से पृथक-पृथक रूप से किया गया था. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 6/स.अ./स्था.निर्वा./2013, दिनांक 21 फरवरी 2013 में सूचित किया है कि अभ्यर्थी रविन्द्र द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 29 जून 2013 को आयोग में आहूत किया गया एवं उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया जिसमें अभ्यर्थी ने दर्शाया कि वह अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया. उनके निर्वाचन अभिकर्ता श्री देवानन्द चौधरी ने उन्हें बताया कि आय-व्यय लेखा जमा करा दिया गया है. उन्हें यह नहीं पता कि निर्वाचन व्यय लेखा कहां जमा किया. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में हुई चूक को स्वीकार करते हुए इसके लिए क्षमा प्रदान करने का निवेदन किया गया.

5. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों भागचंद वैध, रविन्द्र, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर ने निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि अवधि गणना के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि 26 जनवरी को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदन में उक्त तिथि 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी रविन्द्र द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् डोंगरगढ़ के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों भागचंद वैध, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया है. अभ्यर्थी रविन्द्र ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत किया है परन्तु उन्होंने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में कोई रुचि दिखाई. अभ्यर्थी ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह स्वीकार किया है कि वह निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया तथा उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में चूक हो गई है. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 6/स.अ./स्था.निर्वा./2013, दिनांक 21 फरवरी 2013 के द्वारा सूचित किया है कि अभ्यर्थी रविन्द्र के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण भागचंद वैध, रविन्द्र, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष एवं छ: माह की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों भागचंद वैध, रविन्द्र, राकेन्द्र एवं सचेन्द्र नंदेश्वर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष एवं छ: माह की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 18 जुलाई 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.